

घरेलू खतरनाक अपशषिट

प्रलिस के लयि:

घरेलू खतरनाक अपशषिट, ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम 2016 ।

मेन्स के लयि:

घरेलू खतरनाक अपशषिट और इसका प्रभाव, घरेलू खतरनाक अपशषिट के प्रबंधन की आवश्यकता, ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम 2016

चर्चा में क्यों?

मज़बूत बुनयादी ढाँचे के अभाव में अधिकांश भारतीय शहरों के लयि **घरेलू खतरनाक अपशषिट** का पृथक्करण एक दूर का सपना बना हुआ है ।

- इंदौर देश का एकमात्र शहर है जो अपने घरेलू खतरनाक अपशषिट का सुरक्षति प्रबंधन करता है ।

प्रमुख बदि

■ परचिय:

- घरेलू खतरनाक अपशषिट ऐसा कोई भी रसायन या उत्पाद है जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है या यदनुचति तरीके से इसको संग्रहीत, परविहन या नपिटान कयिा जाता है तो यह परयावरण या स्वास्थय के लयि खतरा पैदा कर सकता है ।
- जब खतरनाक अपशषिट को कूड़ेदान में, नाले के नीचे या ज़मीन पर फेंक दयिा जाता है तो पानी और मट्टि दूषति हो सकती है या कचरा संग्रहकरता को नुकसान हो सकता है ।
- खतरनाक, ज्वलनशील, ज़हर और संक्षारक लेबल वाले अधिकांश उत्पादों को खतरनाक अपशषिट माना जाता है ।
- उदाहरण: ऑटो बैटरी, उर्वरक, बैटरी (गैर-क्षारीय), पेंट ।

■ भारत में घरेलू खतरनाक अपशषिट:

- वर्ष 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकि संस्थान (IIT) दलिली और IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा जहरीले भारी धातुओं व कीटनाशकों जैसे लगातार कार्बनकि संदूषकों का एक महत्त्वपूर्ण स्तर पाया गया है ।
 - उनहोंने देश भर में आठ डंप साइट्स से बारीक कणों का वशिलेषण कयिा है ।

■ घरेलू कचरे को नयितरति करना:

- घरेलू कचरा **ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016** में उल्लखति नयिमों द्वारा शासति होता है ।
- ये नयिम घरेलू कचरे को सूखे और गीले कचरे में वभाजति करते हैं ।
 - गीले कचरे को कसिी भी कचरे के रूप में वर्गीकृत कयिा जाता है जो स्वयं ही वघितति या खराब हो जाता है ।
 - अन्य सभी कचरा नयिमानुसार सूखे कचरे में गनिा जाता है ।

■ मुददे:

○ ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016:

- **ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016** इसे "घरेलू स्तर पर उत्पन्न पेंट ड्रम, कीटनाशक के डबिबे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइटबल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सपायर्ड दवाएँ, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, इस्तेमाल की गई बैटरी, इस्तेमाल की गई सुई और सीरजि एवं दूषति गेज आदी" के रूप में परभाषति करता है ।
- यह परभाषा संपूर्ण नहीं है इसलयि व्यक्तगत घरों और स्थानीय सरकारी नकियों जैसे कपिंचायतों और नगर पालिकाओं के लयि छोड़ दयिा जाता है ।
- उदाहरण के लयि नयिम **सगिरेट बट्स को छोड़** देते हैं, भले ही उनमें भारी धातुओं तथा अन्य रसायनों के नशान हों ।

○ ज़मीनी स्तर पर नयिमों के क्रयान्वयन का अभाव:

- नयिमों के अनुसार, परवारों को कचरे को गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक अपशषिट जैसी श्रेणयिों में अलग करना चाहयि ।
- स्थानीय सरकारी नकियों को घरेलू खतरनाक अपशषिट को एकत्र करना चाहयि और/या प्रत 20 कलिमीटर की दूरी पर एक संग्रह केंद्र स्थापति करना चाहयि ताकपरिवार स्वयं अपशषिट को जमा कर सकें ।
- इसके पश्चात् स्थानीय अधिकारयिों को एकत्रति कचरे को नपिटान सुवधाओं तक सुरक्षति रूप से पहुँचाना चाहयि । ये नयिम वर्ष

- 2018 तक अधिकारियों को आवश्यक बुनियादी ढाँचे को वकिसति करने और लोगों को संवेदनशील बनाने का भी नरिदेश देते हैं ।
- लेकनि इनमें से कसिी भी नयिम को धरातल पर सही ढंग से लागू नहीं कया गया है ।
- पर्याप्त नपिटान सुवधियाँ की कमी:
 - यदि अपशषिट एकत्र कर भी लया जाता है, तो देश में उनके सुरकषति नपिटान के लयि पर्याप्त नपिटान सुवधियाँ उपलब्ध नहीं हैं ।
 - एक नपिटान सुवधियाँ में आमतौर पर वशिषिट लैंडफिल मौजूद होते हैं, जो ज़मीन में जहरीले लीचेट के रसिाव को रोकते हैं ।
 - केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परविरतन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में जारी 'भारत में रसायन और खतरनाक अपशषिट प्रबंधन व हैंडलिंग पर हैंडबुक' के अनुसार, वर्तमान में देश में ऐसी केवल 45 सुवधियाँ ही हैं ।

आगे की राह

- खराब प्रदर्शन को देखते हुए भारत खतरनाक अपशषिट को 'एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रसिपॉन्सबिलिटी' (EPR) के तहत शामिल करने पर वचिार कर सकता है ।
 - भारत में वर्तमान में केवल प्लास्टिक उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक एवं वदियुत उपकरणों के लयि ही EPR नीति मौजूद है । कनाडा में घरेलू खतरनाक अपशषिट वर्ष 1990 के दशक से EPR के अधीन है ।
 - इस नीति ने सरकार और करदाताओं को घरेलू खतरनाक अपशषिट संग्रह के उत्तदयतित्व से राहत दी है ।
 - एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रसिपॉन्सबिलिटी (Extended Producer Responsibility-EPR) के तहत मैन्युफैक्चरर्स पर अपने पोस्ट-कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एकत्र करने और संचालित करने की ज़मिमेदारी होती है ।
 - भारत में वर्तमान में केवल प्लास्टिक उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक एवं वदियुत उपकरणों के लयि EPR नीति है । कनाडा में, घरेलू खतरनाक अपशषिट 1990 के दशक से ईपीआर के अधीन है ।
- अधिकारियों को कचरे का सुरकषति भंडारण और खतरनाक अपशषिट नपिटान सुवधियाँ के लयि परविहन भी सुनशिचति करना चाहयि ।
 - चूँकि ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016 के तहत नगर नगिम के अधिकारियों की ज़मिमेदारी है कि वे तमिही या समय-समय पर खतरनाक कचरे को इकट्ठा करें और/या ऐसे जमा केंद्र स्थापति करें जहाँ ऐसे अपशषिट को पैदा करने वालों द्वारा छोड़ा जा सके ।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/domestic-hazardous-waste>

